सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि · प्रकरण 84/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी - श्रीमति सीता शर्मा आर.ए.एस.

अनवान -

1. मनदीप सिंह पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 42 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।
2. दुष्यन्तदेव सिंह पुत्र श्री तरसेम सिंह जरिये मुख्तयार आम मनीपाल सिंह पुत्र श्री हरदयाल सिंह निवासी 528 प्रोफसर कॉलोनी वार्ड नं. 29 हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़
3. अभिजीत सिंह पुत्र श्री चरणजीत सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 42 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।

......वादीगण.......

बनाम

1. देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री केहर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 42 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।
2. गुरशरण कौर पत्नि श्री देवेन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 42 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।
3. तरसेम सिंह पुत्र श्री केहर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 42 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।
4. भूपेन्द्र कौर पत्नि श्री तरसेम सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 42 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।
5. चरणजीत सिंह पुत्र श्री केहर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 42 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।
6. जसविन्द्र कौर पत्नि चरणजीत सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 42 जी.बी तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार (राजस्व) श्री विजयनगर
8. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इडिया, शाखा श्रीविजयनगर।
9. शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक, शाखा श्रीविजयनगर।

......प्रतिवादीगण....

उपस्थिति - 1. श्री प्रेम चुघ वकील वादीगण
2. श्री देवेन्द्र सिंह वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6
3. श्री नरेश कुमार पुरी वकील प्रतिवादी संख्या 8
4. पेराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

लगातार.........2

Scanned with CamScanner

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या – 88/2023

निर्णय दिनांक –29/02/2024

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

वादी के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया कि तहसील श्रीविजयनगर के चक 42 जी.बी खाता संख्या 95/18 पत्थर नं. 198/437 मुरब्बा नं. 10 का किला नं. 1 ता 11 एवं 15 से 17 व 18/12, व 19/12, एवं 24 व 25 कुल 4.302 है. खाता संख्या 120/111 पत्थर नं. 194/438 मु.नं. 20 का किला नं. 1 से 15 कुल 3.668 है., खाता संख्या 30/22 पत्टर नं. 194/438 मुरब्बा नं. 20 का किला नं. 15 से 25 कुल 2.532 है. व खाता संख्या 51/40 पत्थर नं. 195/439 मुरब्बा नं. 34 का किला नं. 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 कुल 3.164 है. व इसी चक में खाता संख्या 57/46 पत्थर नं. 196/439 मु.नं. 33 का किला नं. 1 व 9 ता 13, 17 ता 25 कुल 3.164. है. आराजी प्रतिवादीगण 1 ता 6 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज है। चक नं. 37 जी.बी. (ए) खाता संख्या 33/33 पत्थर नं. 190/440 मु. नं. 12 किला नं. 1 ता 15 एवं पत्थर नं. 191/440 मु.नं. 11 किला नं. 19 ता 25 कुल 5.169 है. व खाता संख्या 29/28 पत्थर 180/438 मु.नं. 6 का किला नं. 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 24 व पत्थर नं. 190/440 मु.नं. 12 का किला नं. 15 ता 25 व पत्थर 191/440 मु. नं. 11 किला नं. 1 ता 5 कुल 5.112 है. एवं खाता संख्या 18/70 पत्थर नं. 190/439 मु.नं. 9 किला नं. 38, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24 कुल 2.024 है व खाता संख्या 50/50 पत्थर नं. 151/439 मु.नं. 10 का किला नं. 16, 17, 23, 24, 25 कुल 1.265 है. व खाता संख्या 20/16 पत्थर 188/438 मुरब्बा नं. 6 का किला नं. 5, 6, 8, 15, 16, 18, 23, 25 व पत्थर नं. 191/440 मुरब्बा नं. 11 का किला नं. 6 ता 10 कुल 2.518 है. एवं खाता संख्या 16/16 पत्थर नं. 191/440 मु.नं. 11 का किला नं. 10 ता 19 कुल 2.334 है. व खाता सं. 47/22 पत्थर नं. 190/441 मुरब्बा नं. 20 का किला नं. 1 ता 13 कुल 3.239 है. व इसी चक के खाता संख्या 24/22 पत्थर नं. 190/441 मु.नं. 20 का किला नं. 14 ता 25 कुल 2.961 है. है यह आराजी राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 व वादी नं. 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज है। उक्त दोनों चकों की आराजी वादीगण की पारिवारिक जायदाद है, जिसमें वादीगण का समुचित हिस्सा बनता है। वादीगण का इस सम्पति में जन्मसिद्ध अधिकार है। पारिवारिक जायदाद होने के कारण वादीगण का इस सम्पति में जन्मसिद्ध अधिकार है। पारिवारिक जायदाद होने के कारण वादीगण के हक व हिस्से की आराजी पारिवारिक बंटवारे में निम्न प्रकार तय की है :-

वादी संख्या 1 मनदीप सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह के हक व हिस्सा की आराजी चक नं. 42 जी.बी. खाता संख्या 95/81 पत्थर नं. 198/437 मु. नं. 10 के किला नं. 4/16 बिस्वा 5 ता 7, 15 ता 17, 18/½, 19/½, 24, 25 कुल 9 बीघा 16 बिस्वा

लगातार.........3

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

प्रमाणित प्रतिलिपि

व चक नं. 37 जी.बी. (ए) के पत्थर नं. 191/440 मु.नं. 11 एवं खाता संख्या 29/28 व 20/16 का किला नं. 1 ता 9 एवं 10/½, कुल 9 बीघा 10 बिस्वा व दोनों चको के मिलाकर 19 बीघा 6 बिस्वा।

वादी संख्या-2 दुष्यन्त देव सिंह पुत्र श्री तरसेम सिंह के हक व हिस्सा की आराजी निम्न प्रकार होगी :- चक नं. 42 जी.बी. खाता संख्या 51/40 पत्थर नं. 195/439 मुरब्बा नं. 34 का किला नं. 5/2, 6/सालम 7/½, 13/½, 14 ता 18 सालम 19/½, 21/½, एवं 22 ता 25 सालम (योग 12 बीघा 10 बिस्वा) एवं चक 42 जी.बी. का मुरब्बा नं. 20, पत्थर नं. 194/438 (खाता संख्या 30/22 एवं खाता संख्या 120/111) का किला नं. 3/½, 8/½, 13/½, 18/½, 23/½, वा 14 ता 17 सालम 14 ता 17 सालम 24 ता 25 सालम (कुल 12 बीघा 10 बिस्वा करीब)।

वादी संख्या-3. अभिजोत सिंह पुत्र श्री चरनजीत सिंह के हक एवं हिस्सा की आराजी निम्न प्रकार होगी :- चक नं. 42 जी.बी मु.नं. 20 पत्थर नं. 194/438 (खाता संख्या 30/22 एवं 120/111) का किला नं. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 सालम वा 3/½, 8/½, 13/½, 18/½, 23/½ कुल करीब 12 बीघा 10 बिस्वा एवं चक 42 जी.बी. मु.नं. 10 पत्थर नं. 198/437 खाता संख्या 95/81 का किला नं. 1, 2, 3, 4/4 बीस्वा 8, 9, 10, 10, 11 सालम कुल 7 बीघा 4 बिस्वा दोनों खातों का कुल योग 19 बीघा 14 बिस्वा है। वादीगण आराजी प्राप्त करने के अधिकारी है, वादीगण की आराजी सुरक्षित नहीं है कभी भी प्रतिवादीगण 1 ता 6 आराजी को खुर्द-बुर्द कर सकते है। वादीगण को उनके अधिकारों से वंचित कर सकते है, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना बंगैरह से नहीं की जा सकती है। वादीगण के अधिकारों से कुठाराघात हो सकता है, वादीगण का पारिवारिक जायदाद में हक व हिस्सा बनता है, जिसको वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण अपने हक व हिस्सा की आराजी को अपने नाम से घोषणा करवाने का अधिकार रखते है। इसी के साथ वादीगण अपने खाता को राजस्व रिकॉर्ड में अलग कायम करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या-9 तहसीलदार श्रीविजयनगर को फॉर्मल पक्षकार बनाया गया है क्योंकि वाद-पत्र तकसीम खाता का है, जिसके खिलाफ किसी प्रकार का अनुतोष नहीं बनता है। कि वादीगण वाद-पत्र की मद संख्या 4 की उप संख्या 1 ता 3 में दर्ज आराजी को अपने नाम से हक व हिस्सा के मुताबिक हक मानकर दर्ज करवाना चाहते है व उसी के मुताबिक प्रश्नगत आराजिका का खाता तकसीम करके राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग खाता कायम करवाया जावे। यह बात वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 01.11.2023 को गाँव 42 जी.बी. जाकर कही, तो प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गए बस यही बिनाय मुखासमत है। आदि-आदि का वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि वाद-पत्र की मद संख्या 4 उप संख्या-1 ता 3 में दर्ज आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वाद-पत्र की मद संख्या 4 की उप संख्या-3 में वर्णित आराजी को मुताबिक खाता आराजी अलग-अलग कायम किया जावे व रकम राज अलग से कायम की जावे।

लगातार.....4

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की ने अपना इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादी पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया राज्य सरकार (भू-धारक) के हक व हकूक को सुरक्षित रखते हुए वाद का निर्णय हकुक फरमाने का निवेदन किया। दौराने विचारण वाद पत्र वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण वादीगण के द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्ततु कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो चुका है इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण सभी वाद पत्र की मद संख्या 1 ता 6 के अनुरूप सम्पति का आपसी बंटवारा करवाने के लिए सहमत है। चूंकि पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो चुका है और विवाधक नहीं है इसलिए तनकियात कायम करने की आवश्कता नहीं है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा के आधार पर वाद निर्णय करने की सहमति दी गई है। चूंकि वादी एवं प्रतिवादीगण का राजीनामा हो चुका है इसलिए यह वाद पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि का वाद पत्र में वर्णित अनुसार बंटवारा किया जाकर वादी संख्या 1 मनदीप सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह को आराजी चक नं. 42 जी. बी. खाता संख्या 95/81 पत्थर नं. 198/437 मु. नं. 10 के किला नं. 4/16 बिस्वा 5 ता 7, 15 ता 17, 18/½, 19/½, 24, 25 कुल 9 बीघा 16 बिस्वा व चक नं. 37 जी.बी. (ए) के पत्थर नं. 191/440 मु.नं. 11 एवं खाता संख्या 29/28 व 20/16 का किला नं. 1 ता 9 एवं 10/½, कुल 9 बीघा 10 बिस्वा व दोनों चको के मिलाकर 19 बीघा 6 बिस्वा एवं वादी संख्या-2 दुष्यन्त देव सिंह पुत्र श्री तरसेम सिंह को चक नं. 42 जी.बी. खाता संख्या 51/40 पत्थर नं. 195/439 मुरब्बा नं. 34 का किला नं. 5/2, 6/सालम 7/½, 13/½, 14 ता 18 सालम 19/½, 21/½, एवं 22 ता 25 सालम (योग 12 बीघा 10 बिस्वा) एवं चक 42 जी.बी. का मुरब्बा नं. 20, पत्थर नं. 194/438 (खाता संख्या 30/22 एवं खाता संख्या 120/111) का किला नं. 3/½, 8/½, 13/½, 18/½, 23/½, वा 14 ता 17 सालम 14 ता 17 सालम 24 ता 25 सालम (कुल 12 बीघा 10 बिस्वा करीब) एवं वादी संख्या-3 अभिजोत सिंह पुत्र श्री चरनजीत सिंह को चक नं. 42 जी.बी मु.नं. 20 पत्थर नं. 194/438 (खाता संख्या 30/22 एवं 120/111) का किला नं. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 सालम वा 3/½, 8/½, 13/½, 18/½, 23/½ कुल करीब 12 बीघा 10 बिस्वा एवं चक 42 जी.बी. मु.नं. 10 पत्थर नं. 198/437 खाता संख्या 95/81 का किला नं. 1, 2, 3, 4/4 बीस्वा 8, 9, 10, 10, 11 सालम कुल 7 बीघा 4 बिस्वा दोनों खातों का कुल योग 19 बीघा 14 बिस्वा का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है।

लगातार.....5

तहसीलदार श्री विजयनगर इसी अनुसार भूमि विभाजन किला का दिशा वाईज राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे तथा पक्षकारान को विभाजन अनुसार कब्जा सुपुर्द करे। इसी अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29/02/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

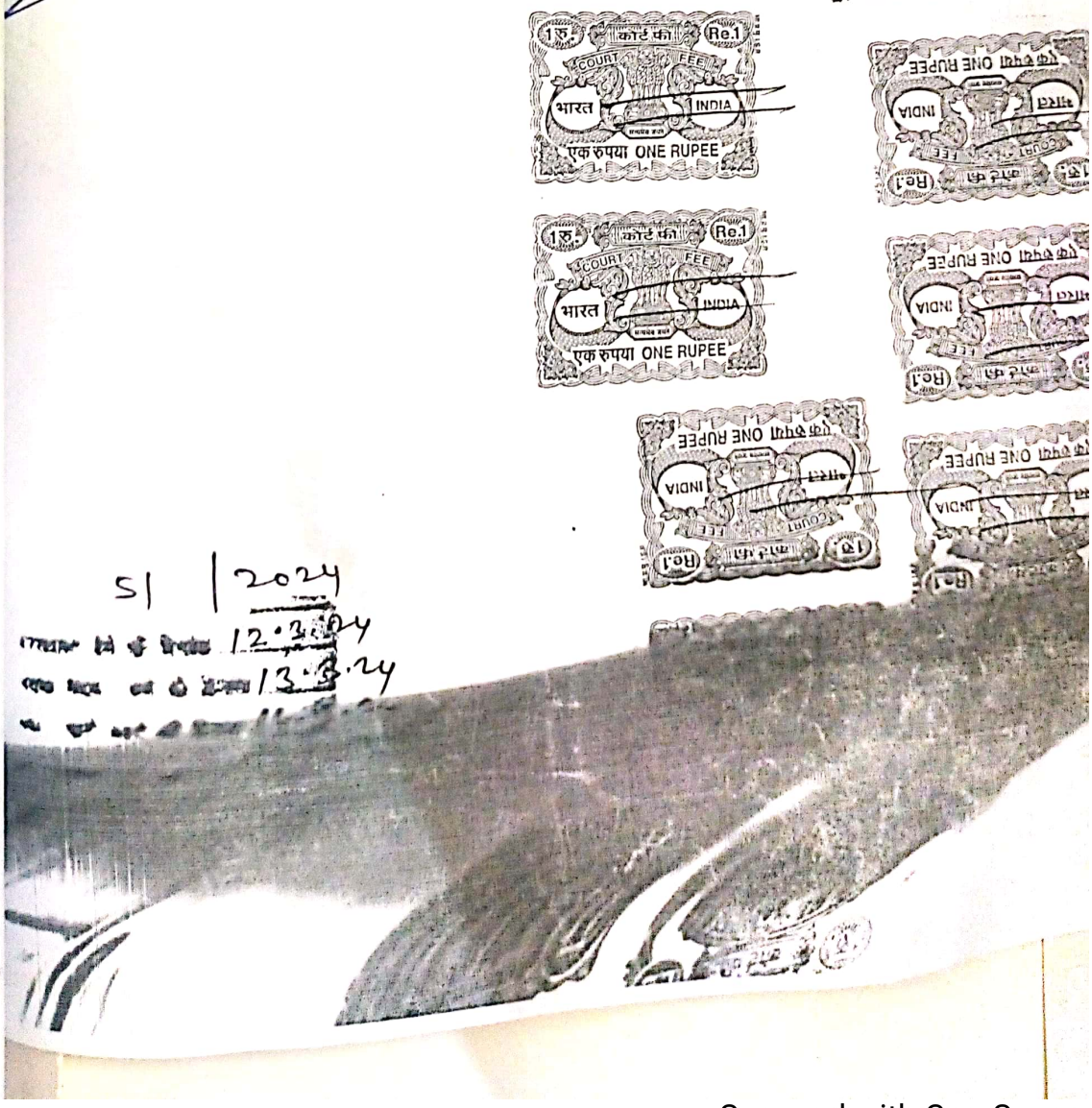

एक रुपया ONE RUPEE

51 | 2024

12.3.24

13.3.24

नकल प्रमाणित प्रतिलिपि

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Appendix D-1)

ब अदालत उपखण्डाधिकारी (राजस्व) मुकाम - श्री विजयनगर

इजलास - सीता शर्मा आर.ए.एस.

उनवान -

मनदीप सिंह आदि बनाम देवेन्द्र सिंह आदि

(वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या -88/2023 निर्णय दिनांक- 29/02/2024

यह मुकदमा वास्ते इनफिलास कतई रूबरू श्री प्रेम चुघ एडवोकेट वादी व श्री दवेन्द्र सिंह, नरेश कुमार पुरी एडवोकेट प्रतिवादीगण एवं हाजरी पैरोकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर मिनजानब मुदई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है

वादी संख्या 1 मनदीप सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह को आराजी चक नं. 42 जी.बी. खाता संख्या 95/81 पत्थर नं. 198/437 मु. नं. 10 के किला नं. 4/16 विस्वा 5 ता 7, 15 ता 17, 18/½, 19/½, 24, 25 कुल 9 बीघा 16 बिस्वा व चक नं. 37 जी.बी. (ए) के पत्थर नं. 191/440 मु.नं. 11 एवं खाता संख्या 29/28 व 20/16 का किला नं. 1 ता 9 एवं 10/½, कुल 9 बीघा 10 बिस्वा व दोनों चको के मिलाकर 19 बीघा 6 बिस्वा एवं वादी संख्या-2 दुष्यन्त देव सिंह पुत्र श्री तरसेम सिंह को चक नं. 42 जी.बी. खाता संख्या 51/40 पत्थर नं. 195/439 मुरब्बा नं. 34 का किला नं. 5/2, 6/सालम 7/½, 13/½, 14 ता 18 सालम 19/½, 21/½, एवं 22 ता 25 सालम (योग 12 बीघा 10 बिस्वा) एवं चक 42 जी.बी. का मुरब्बा नं. 20, पत्थर नं. 194/438 (खाता संख्या 30/22 एवं खाता संख्या 120/111) का किला नं. 3/½, 8/½, 13/½, 18/½, 23/½, वा 14 ता 17 सालम 14 ता 17 सालम 24 ता 25 सालम (कुल 12 बीघा 10 बिस्वा करीब) एवं वादी संख्या-3 अभिजोत सिंह पुत्र श्री चरनजीत सिंह को चक नं. 42 जी.बी मु.नं. 20 पत्थर नं. 194/438 (खाता संख्या 30/22 एवं 120/111) का किला नं. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 सालम वा 3/½ , 8/½, 13/½, 18/½, 23/½ कुल करीब 12 बीघा 10 बिस्वा एवं चक 42 जी.बी. मु.नं. 10 पत्थर नं. 198/437 खाता संख्या 95/81 का किला नं. 1, 2, 3, 4/4 बीस्वा 8, 9, 10, 10, 11 सालम कुल 7 बीघा 4 बिस्वा दोनों खातों का कुल योग 19 बीघा 14 बिस्वा का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्री विजयनगर इसी अनुसार भूमि विभाजन किला का दिशा वाईज राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे तथा पक्षकारान को विभाजन अनुसार कब्जा सुपुर्द करे।

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

नीज..................................मुबलिग.......................बाबत...........
..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद शरह ....फिसदी सालाना आज की तारीख से वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

मुद्दई	रूपया	पै0	मुद्दई	रूपया
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील	
महनताना वकील			खर्चा गवाह	
खर्चा गवाह			फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक	
			मिजान	
मुतफर्रिक मिजान				

प्रमाणित प्रतिलिपि
एव जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर (राज

51 | 2024
12.3.24
13.3.24
14.3.24
जारी